

दिल्ली विकास प्राधिकरण  
रोहिणी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स  
सेक्टर 14, रोहिणी, दिल्ली, 110085  
ईमेल: rohinisportscomplex@yahoo.com

एनआईक्यू संख्या 03/आरएससी/डीडीए/2024-25

दिल्ली विकास प्राधिकरण (खेल विंग) के अध्यक्ष की ओर से रोहिणी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में निम्नलिखित कार्यों के लिए ऑनलाइन कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं। कोटेशन को दो भागों में अपलोड किया जाएगा, अर्थात् 'भाग-I' जिसमें तकनीकी बोली होगी और 'भाग-II' जिसमें 'वित्तीय बोली' होगी। निर्धारित तरीके से अपलोड न की गई बोली का कोई हिसाब नहीं रखा जाएगा। कोटेशनकर्ता को व्यापार एवं कर विभाग, जीएनसीटीडी/जीएसटी के साथ पंजीकृत होना चाहिए और निविदा के साथ पंजीकरण की एक प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए।

कार्य का नाम :- रोहिणी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, डीडीए का प्रबंधन।

एसएच : रोहिणी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मल्टीजिम के लिए जिम ग्लास वॉल मिरर की आपूर्ति।

अनुमानित लागत: रु.1,73,460/-

बयाना राशि- रु.10,000/-

मात्रा की अनुसूची

क्र. सं.	वस्तु का विवरण	मात्रा	इकाई	दर (रु. में)	राशि (रु. में)
1	जिम ग्लास दीवार दर्पण (5 मिमी मोटी) फिक्सिंग सहायक उपकरण और सुरक्षा समर्थन के साथ।	1050.00	वर्गफुट.		

दस्तावेज ई-टेंडरिंग पोर्टल यानी वेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> या [www.dda.org.in](http://www.dda.org.in) से डाउनलोड किए जा सकते हैं और बोलियां 26/09/2024 (जमा करने की अंतिम तिथि) को दोपहर 03:00 बजे तक अपलोड की जा सकती हैं। तकनीकी बोली 27/09/2024 को दोपहर 03:30 बजे खोली जाएगी। कोटेशनकर्ता को निर्धारित तिथि तक ई-टेंडरिंग सिस्टम में RTGS/NEFT का विशिष्ट लेनदेन संदर्भ अपलोड करना होगा। कोटेशनकर्ताओं को ई-टेंडरिंग पोर्टल <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

तकनीकी बोली (प्रथम कवर)

तकनीकी बोली में कोटेशन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है:-

- ईएमडी के आरटीजीएस/एनईएफटी के संदर्भ की स्कैन की गई प्रति।
- पैन नंबर की स्कैन की गई प्रति।
- जीएसटी पंजीकरण की स्कैन की गई प्रति।
- डीडीए के ठेकेदार पंजीकरण बोर्ड (सीआरबी) में पंजीकरण के प्रमाण की स्कैन की गई प्रति।
- नवीनतम गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर इस आशय के वचन की स्कैन की गई प्रति कि एजेंसी को किसी सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या निजी संगठन एजेंसी/फर्म/व्यक्ति/निविदाकर्ता द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है या उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।
- एनआईक्यू के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कोई अन्य दस्तावेज।

## वित्तीय बोली (दूसरा कवर)

1) BoQ\_XXXXX.xls के रूप में मूल्य बोली की अनुसूची

तकनीकी बोली के साथ आवश्यक जानकारी और/या दस्तावेजों के संबंध में कमी पाए जाने पर किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

डीडीए के ठेकेदार पंजीकरण बोर्ड (सीआरबी) में पंजीकृत बोलीदाता/निविदाकर्ता को निम्नानुसार ई-निविदा वार्षिक शुल्क (लागू होने पर जीएसटी सहित) का भुगतान करना होगा:

क्रम सं.	ठेकेदार का वर्ग	प्रति वर्ष भुगतान की जाने वाली राशि
1	क्लास-I	रु. 20,000/- + जीएसटी@18%
2	वर्ग द्वितीय	रु. 16,000/- + जीएसटी@18%
3	कक्षा-III	रु. 14,000/- + जीएसटी@18%
4	चतुर्थ श्रेणी	रु. 10,000/- + जीएसटी@18%
5	कक्षा-वी	रु. 6,000/- + जीएसटी@18%

जो बोलीदाता/निविदाकर्ता डीडीए में पंजीकृत नहीं हैं और डीडीए निविदा में बोली लगाना चाहते हैं, उन्हें निम्नानुसार ई-निविदा का वार्षिक शुल्क देना होगा:

क्र.सं.	कार्य की लागत	ई-टेंडरिंग शुल्क
1.	15.00 लाख रुपये तक	रु. 6000/- + जीएसटी लागू अनुसार
2.	15.00 लाख से अधिक से 20.00 करोड़ तक	रु. 20000/- + जीएसटी जो लागू हो
3.	20.00 करोड़ रुपये से अधिक	रु. 50000/- + जीएसटी लागू अनुसार

निविदा दो भागों में ऑनलाइन प्रस्तुत की जाएगी, अर्थात् तकनीकी बोली और वित्तीय बोली।

**नोट (1):-** बोलीदाता एक यूटीआर का उपयोग केवल एक कार्य के लिए करेगा। यदि यह पाया जाता है कि उसने विभिन्न निविदाओं के लिए एक यूटीआर नंबर का उपयोग किया है, तो उसके द्वारा प्रस्तुत सभी निविदाएं अस्वीकार कर दी जाएंगी और उसे भविष्य में डीडीए में आगे निविदा देने से रोक दिया जाएगा।

**नोट (2):-** इच्छुक निविदाकर्ता को डीडीए में निविदा देने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि अपेक्षित शुल्क पहले ही सीआरबी के पास जमा कर दिया गया है।

**नोट (3):-** निविदा खुलने तक निविदाकर्ताओं द्वारा किसी भी दस्तावेज की हार्ड कॉपी जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रासंगिक दस्तावेजों की हार्ड कॉपी केवल न्यूनतम बोलीदाता से ही आवश्यक होगी।

**नोट (4):-** नियम और शर्तों, विशेष कार्य के पात्रता मानदंड, आरटीजीएस मोड के माध्यम से बयाना राशि जमा करने के तरीके और अन्य जानकारी/निर्देशों के लिए, कृपया डीडीए की वेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> या [www.dda.org.in](http://www.dda.org.in) पर जाएं। ई-टेंडरिंग पर किसी भी सहायता के लिए कृपया संबंधित ईई या मेसर्स एनआईसी से ईमेल [cppp-nic@nic.in](mailto:cppp-nic@nic.in) या 0120-4001062, 0120-4001002, 0120-4001005, 0120-6277787 पर संपर्क करें, या [support-eproc@nic.in](mailto:support-eproc@nic.in) पर मेल भेजें।

**नियम एवं शर्तें:-**

1. उद्धृत दरों में सभी कर/शुल्क (यदि कोई हो) शामिल होने चाहिए। डीडीए इस संबंध में किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा।
2. परिवहन/करों के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।
3. कार्य सचिव/आरएससी और आरई/आरएससी के निर्देशानुसार निष्पादित किया जाएगा।
4. कि निष्पादित कार्य की गुणवत्ता के संबंध में इस कार्यालय का निर्णय अंतिम होगा तथा आपूर्तिकर्ता/एजेंसी पर बाध्यकारी होगा तथा किसी भी फोरम के समक्ष उस पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।
5. आवश्यक वैधानिक कटौती लागू होने पर की जाएगी।
6. भुगतान करने के लिए पूर्व-प्राप्ति बिल की दो प्रतियां भी भेजी जा सकती हैं।
7. कोटेशनकर्ता को जीएसटी विभाग में पंजीकृत होना चाहिए तथा जीएसटी पंजीकरण की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
8. निषिद्ध एजेंसी/या व्यक्ति को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
9. किसी भी व्यक्ति को जिसे प्रतिबंधित किया गया है, उसे किसी भी बातचीत में भाग लेने या किसी एजेंसी का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं है, भले ही उसके पास एजेंसी की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी हो। प्रतिबंधित व्यक्तियों को नियुक्त करने वाली कोई भी एजेंसी भी प्रतिबंधित होने के लिए उत्तरदायी है।
10. सशर्त कोटेशन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
11. डीडीए के सदस्यों और प्रशासनिक कर्मचारियों की वास्तविक समय की प्रतिक्रिया के आधार पर, जब भी सेवा में कमी देखी जाएगी, तो उसे सुधार के लिए एजेंसी/ठेकेदार को सूचित किया जाएगा। यदि सूचना के 24 घंटे के भीतर कोई सुधार/सुधार नहीं होता है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित अनुपातिक कटौती एजेंसी/ठेकेदार से की जाएगी।
12. कार्य विनिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।
13. भुगतान आरई/सचिव/आरएससी, डीडीए की पूर्ण संतुष्टि के बाद किया जाएगा।
14. विभाग द्वारा कोई टी एंड पी जारी नहीं किया जाएगा।
15. एजेंसी को कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।
16. आयुक्त (खेल) बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली/कोटेशन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
17. यदि कार्य निर्धारित समय में पूरा नहीं होता है तो आयुक्त (खेल) को संबंधित एजेंसी को कार्य से वंचित करने का अधिकार सुरक्षित है क्योंकि कार्य घटिया पाया जाता है।
18. यथा लागू आवश्यक वैधानिक कटौती की जाएगी।
19. किसी भी नाबालिग को कार्यस्थल पर नहीं रखा जाएगा।
20. विभाग द्वारा एजेंसी को कोई अतिरिक्त राशि नहीं दी जाएगी।
21. कोटेशन की वैधता खुलने की तारीख से 60 दिन है।
22. यदि पूरा काम कार्य आदेश में उल्लिखित निर्धारित समय के भीतर पूरा नहीं किया जाता है, तो सचिव/आरएससी का यह पूर्ण विवेक होगा कि वह आइटम के काम को उन शर्तों पर स्वीकार करे, जिन्हें सचिव उचित और उचित समझे या आपूर्ति/कार्य आदेश को रद्द कर दे/कार्य के विरुद्ध कोई भी भुगतान रोक दे/बयान राशि जब्त कर ले या संबंधित एजेंसी को प्रतिबंधित कर दे। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी फोरम के समक्ष उस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।
23. कार्य निष्पादन के दौरान ठेकेदार पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। यदि साइट/आसपास कोई नुकसान/चोरी/क्षति होती है, तो उसे उद्धृत दरों के अनुसार पूरा किया जाएगा या एजेंसी से वसूला जाएगा/एजेंसी के जोखिम और लागत पर पूरा किया जाएगा।
24. एजेंसियों के साथ निगमित व्यक्तियों के बजाय एजेंसियों के अनुभव को ध्यान में रखा जाएगा, जिसमें स्वामित्व शामिल नहीं है।
25. यदि बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत दरें समान हैं, तो निर्णय पर पहुंचने के लिए, कॉम्प्लेक्स के सचिव, सीनियर एओ (खेल) और कॉम्प्लेक्स के डीडीओ वाली समिति द्वारा लॉटरी निकाली जाएगी।
26. आपूर्ति/कार्य आदेश जारी होने की तिथि से 10 दिनों के भीतर आपूर्ति/कार्य पूरा किया जाएगा।

-एसडी-

आरई(सी)/आरएससी, डीडीए